375

36

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

24 AUG 2012

क्रमांक प.3 (55) / नविवि / 3 / 2002 पार्ट

जयपुर दिनांक

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक प.3(55)नवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 29 अगस्त, 2006 द्वारा पब्लिक एवं चैरीटेबल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी नीति परिपत्र दिनांक 14.02.2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा दिनांक 05.07.2006 में रियायती दर पर भूमि आवंटन के मामलों में आवंटन दर पर ही लीज राशि लिये जाने एवं इस हेतु सामान्य आदेश द्वारा प्रावधान किये जाने का निर्णय लिये जाने पर रियायती दर पर भूमि आवंटन के समस्त प्रकरणों में आदेश के पश्चात् के आवंटनों पर आवंटन दर पर ही लीज राशि देय होगी, के निर्देश जारी किये गये थे।

अभी भी रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रकरणों में लीज राशि किस दर पर देय होगी के सम्बन्ध में शंका समाधान हेतु संदर्भ विभाग में प्राप्त हो रहे है।

उक्त स्थिति को देखते हुए पुनः यह निर्देश दिये जाते है कि पूर्व में मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा रियायती दर पर भूमि आवंटन के मामलों में आवंटन दर पर ही लीज राशि लिये जाने हेतु लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विभाग के आदेश दिनांक 26.08.2006 द्वारा आवंटन दर पर ही लीज राशि देय होगी बाबत् दिये गये निर्देशों के अनुसार लीज राशि लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
9. रक्षित पत्रावली।

24/8/2012
उप शासन सचिव-तृतीय

(158)